



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274366
CG-DL-E-11072026-274366

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3588]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3588]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3750(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के मोरबी जिले में NH151A के मालिया-पीपलीया कि.मी. 18.6 से कि.मी.24.055 (प्रॉत अधिकारी-मोरबी, तालुका सेवा सदन, लाल बाग, मोरबी-2) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रान्त आफिसर मोरबी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के मोरबी जिले में NH151A के मालिया-पीपलीया कि.मी. 18.6 से कि.मी.24.055 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: मोरबी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मोरबी					
गांव का नाम: पीपलीया					
1	123	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.0182 (हेक्टेयर)	0.0182
2	125	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.0284 (हेक्टेयर)	0.0284
3	126	निजी	एग्रीकल्चर ()	1.0364 (हेक्टेयर)	1.0364
4	129	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.2588 (हेक्टेयर)	0.2588
5	129/1	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.3528 (हेक्टेयर)	0.3528
6	130	निजी	एग्रीकल्चर ()	1.0329 (हेक्टेयर)	1.0329
7	131	निजी	एग्रीकल्चर ()	1.2179 (हेक्टेयर)	1.2179
8	132	निजी	एग्रीकल्चर ()	1.1526 (हेक्टेयर)	1.1526
9	133	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.4036 (हेक्टेयर)	0.4036
10	134	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.8114 (हेक्टेयर)	0.8114
11	road	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (रोड)	0.135 (हेक्टेयर)	0.135
गांव का नाम: मोडपर					
12	0 bin numbari	सरकारी	एग्रीकल्चर (खराबो)	1.2815 (हेक्टेयर)	1.2815
13	138	निजी	एग्रीकल्चर	0.7535 (हेक्टेयर)	0.7535

14	139	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.0037 (हेक्टेयर)	0.0037
15	229	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.2747 (हेक्टेयर)	0.2747
16	Road	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (रोड)	0.867 (हेक्टेयर)	0.867
Total					9.6284

[फा. सं. D-2163/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3750(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Maliya-Pipaliya of NH-151A in the stretch of land from Km. 18.6 to Km. 24.055 (Prant office-Morbi, Taluka Seva Sadan, Lal Baugh, Morbi-2) in the district of MORBI in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Prant officer Morbi** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling **Maliya-Pipaliya** of NH-151A in the stretch of land from Km. 18.6 to Km. 24.055 in the district of MORBI in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: MORBI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Morbi					
Village: Pipaliya					
1	123	Private	Agriculture ()	0.0182 (Hectare)	0.0182
2	125	Private	Agriculture ()	0.0284 (Hectare)	0.0284
3	126	Private	Agriculture ()	1.0364 (Hectare)	1.0364

4	129	Private	Agriculture ()	0.2588 (Hectare)	0.2588
5	129/1	Private	Agriculture ()	0.3528 (Hectare)	0.3528
6	130	Private	Agriculture ()	1.0329 (Hectare)	1.0329
7	131	Private	Agriculture ()	1.2179 (Hectare)	1.2179
8	132	Private	Agriculture ()	1.1526 (Hectare)	1.1526
9	133	Private	Agriculture ()	0.4036 (Hectare)	0.4036
10	134	Private	Agriculture ()	0.8114 (Hectare)	0.8114
11	road	Government	Non Agriculture (road)	0.135 (Hectare)	0.135
Village: Modpar					
12	0 bin numbari	Government	Agriculture (kharabo)	1.2815 (Hectare)	1.2815
13	138	Private	Agriculture	0.7535 (Hectare)	0.7535
14	139	Private	Agriculture ()	0.0037 (Hectare)	0.0037
15	229	Private	Agriculture ()	0.2747 (Hectare)	0.2747
16	Road	Government	Non Agriculture (road)	0.867 (Hectare)	0.867
Total					9.6284

[F. No. D-2163/3A]
SHAIKH AMINKHAN, Director